रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267199
CG-DL-E-28102025-267199

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4734] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947
No. 4734] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4880(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रसतावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के डिजाइन चैनेज कि.मी. 324+500 से कि.मी. 262+000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (6-लेन/ 8-लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी भरुच को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यातो आक्षेपो को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य के भरुच जिले में प्रसतावित वडोदरा - मुंबई एक्सप्रेसवे के डिजाइन चैनेज कि.मी. 324+500 से कि.मी. 262+000 तक (वडोदरा - मुंबई खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भुमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: भरुच		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अमोद					
गांव का नाम: मातर तलपद					
1	467 (New S. No. 460)	निजी	कृषि	0.0602 (हेक्टेयर)	0.0602
गांव का नाम: सिमलाथा					
2	303 (New S. No. 224)	निजी	कृषि	0.3752 (हेक्टेयर)	0.3752
				Total	0.4354

[फा. सं. NHAI/Surat/15/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2025

S.O. 4880(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Six / Eight laning, etc.,), maintenance, management and operation of proposed Vadodara - Mumbai Expressway, on the stretch of land from design chainage Km. 324.500 to Km. 262.000 (Vadodara - Mumbai section) in the district of BHARUCH in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under Sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, COMPETENT AUTHORITY AND SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER, BHARUCH in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under Sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from design chainage Km. 324+500 to Km. 262+000 (Vadodara - Mumbai Section) of the proposed Vadodara - Mumbai Expressway in the district of Bharuch in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT			**District: BHARUCH**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Amod					
Village: Matar Talpad					
1	467 (New S. No. 460)	Private	Agriculture	0.0602 (Hectare)	0.0602
Village: Simlatha					
2	303 (New S. No. 224)	Private	Agriculture	0.3752 (Hectare)	0.3752
				Total	**0.4354**

[F. No. NHAI/Surat/15/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.28 15:05:19 +05'30'